

## विवरणी

अभिलेख उपस्थापित। अवैध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार मुल्हा

भोगता पिता - भुखा भोगता को खास नोटिस निर्गत किया गया था जो अभिलेख में संलग्न है। अवैध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार के लहीन्दर भोगता

द्वारा सुनवाई के दौरान विषयगत अवैध/संदिग्ध भूमि ग्राम पात्तिसुडा खाता सं० 101 वर्ष 2005-06 का लगान रसीद प्रस्तुत

01 प्लॉट सं० 01 रकबा 2.40 ए०

किया गया। सुनवाई के दौरान लहीन्दर भोगता ने अपना विवरण

दिया है कि उनके पास लगान रसीद के अतिरिक्त अन्य कोई

दस्तावेज नहीं है। राजस्व उप निरीक्षक/ अंचल निरीक्षक से चेक लिस्ट में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख में संलग्न है, अवलोकन किया गया।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि पंजी ii में उक्त भूमि के संदिग्ध/अवैध जमाबन्दीदार के नाम से जमाबन्दी कायम होने का आधार दृज नहीं

प्रतिवेदित किया है कि विषयगत भूमि ग्राम- पात्तिसुडा खाता नं० 101 प्लॉट नं० 01 सर्वे खतियान में किस्म मिर्चाल

पंगल दर्ज है जो सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 6144/रा० दिनांक 21.12.2017 के कंडिका-5 के उप कंडिका II(ii) के अनुसार प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी है एवं नियमितिकरण योग्य नहीं है। रा०उ०नि० एवं अं०नि० ने जमाबन्दी रद्द करने हेतु अनुशांसा किया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मुल्हा भोगता पिता - भुखा भोगता ग्राम पात्तिसुडा के नाम से चल रही निम्नांकित जमाबन्दी संदिग्ध/अवैध जान पड़ता है :-

मौजा	थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा
1	2	3	4	5
<u>पात्तिसुडा</u>	<u>63</u>	<u>101</u>	<u>01</u>	<u>2.40 ए०</u>

अतः मुख्य सचिव, झारखण्ड राँची का पत्रांक 2074/रा०, दिनांक 13.05.2016, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 6144/रा० दिनांक 21.12.2017 के कंडिका-5 के उप कंडिका II(ii) एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1704/रा० दिनांक 15.07.2020 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 के धारा 4(h) के तहत उक्त जमाबन्दी को रद्द किया जाता है।

लेखापित

10/4/21  
अंचल अधिकारी,  
बोलबा।

10/4/21  
अंचल अधिकारी,  
बोलबा।